

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112022-240368 CG-DL-E-17112022-240368

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5133] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2022/कार्तिक 26, 1944 No. 5133] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2022/KARTIKA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2022

का.आ. 5359(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के एलुरू जिले में कंस्ट्रक्शन ऑफ़ 2 लेन ब्रिज एंड इट्स अप्प्रोचेस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 516डी के कि.मी 30.5 से 31.15 तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-516डी पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण		जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	आर्डीओ जंगरेड्डीगूडम ()	राजमार्ग	आंध्र प्रदेश	एलुरु	कोय्यलागुडेम	1 बय्यनागुडेम

7650 GI/2022 (1)

	NH516D		
	के कि.मी.		
	30.5 से		
	31.15 तक		

[फा. सं. REV02/451/2022-LAND SEC]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2022

S.O. 5359(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of Two Lane Bridge and its approaches from km. 30.5 to 31.15 of NH-516D in Eluru Distrit in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH516D in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	JANGAREDDYGUDEM		ANDHRA PRADESH	Eluru	Koyyalagudem	1 Bayyanagudem

[F. No. REV02/451/2022-LAND SEC]

RAJESH GUPTA, Director